राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/2/2021 जयपुर, दिनांकः 05.05.2021

जिला कलक्टर
समस्त राजस्थान।

विषय– कोरोना मरीजों हेतु ऑक्सीजन परिवहन में लगे हुए वाहनों के डीजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों हेतु ऑक्सीजन का परिवहन टैंकरों के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश वाहन निजी संस्थाओं/व्यक्तियों के स्वामित्व के हैं। इन वाहनों के परिवहन के दौरान डीजल भरवाने से सम्बन्धित समस्याएं सामने आ रही हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि ऑक्सीजन परिवहन में लगे हुए समस्त वाहनों को डीजल उपलब्ध करवाने का दायित्व जिला कलेक्टरों का होगा, अर्थात वाहन को जिस भी जिले में डीजल की आवश्यकता होगी, संबंधित जिला कलक्टर द्वारा उक्त वाहन को आवश्यक रूप से डीजल उपलब्ध करवाया जायेगा। जिला कलक्टर इस हेतु आवश्यक निर्देश संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को भी जारी करेगें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव